दैनिक जागरण

यदि सुख मिल भी जाए तो निश्चित नहीं कि सदा के लिए हो

शर्मसार करने वाला बयान

भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर पार्टी को मुसीबत में ही डालने का काम किया। अगर उनके इस बेजा बयान को लेकर विरोधी दल भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। यह मौका तो खुद प्रज्ञा सिंह ने उन्हें उपलब्ध कराया है। हाल के दिनों में यह दूसरी-तीसरी बार है जब प्रज्ञा सिंह ने अपने किसी अनुचित बयान से भाजपा को शर्मसार किया है। इसके पहले उन्होंने मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को देशद्रोही बताकर पार्टी को असहज किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी उस भूल से कोई सबक नहीं सीखा और शायद इसीलिए यह कह गईं कि अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने का काम उन्होंने भी किया था। प्रज्ञा सिंह ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर भाजपा का जैसा नुकसान किया उससे पार्टी नेतृत्व को सबक सीखना चाहिए। राजनीतिक लाभ के फेर में हर किसी को अपनाने और चुनाव लड़ाने से पहले कम से कम यह तो देखा ही जाना चाहिए कि वह शख्स पार्टी की रीति-नीति के बारे में बुनियादी समझ रखता है या नहीं? भले ही पार्टी की ओर से आपत्ति जताए जाने पर प्रज्ञा सिंह ने गोडसे का महिमामंडन करने वाले अपने बयान के लिए खेद जता दिया हो, लेकिन यह कहना कठिन है कि इससे क्षति की भरपाई हो जाएगी। प्रज्ञा सिंह ने नाथूराम गोडसे को फिर से चर्चा में लाने का जो काम किया वैसा काम कुछ और लोग भी समय-समय पर करते रहते हैं, लेकिन वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते। वे हो भी नहीं सकते, क्योंकि इस देश में किसी के लिए भी गांधी जी के हत्यारे से हमदर्दी जताकर राजनीति करना संभव नहीं।

यह ठीक है कि प्रज्ञा सिंह अभिनेता से नेता बने कमल हासन के उस बयान से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थीं जिसमें उन्होंने यह कहा था कि स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू आतंकी नाथूराम गोडसे था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह गोडसे को देशभक्त बताने लगें। हालांकि कमल हासन नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकी बताकर एक तरह से यही रेखांकित करने का बेजा काम कर रहे थे कि आतंकियों का भी मत-मजहब होता है, लेकिन हैरानी इस पर है कि वे लोग भी उनका समर्थन करने के लिए आगे आ गए जो कल तक इस पर जोर देते थे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। आखिर यह ढोंग नहीं तो और क्या है? निःसंदेह किसी की भी गांधी के विचारों से असहमति से हो सकती है, लेकिन इस बहाने उनके हत्यारे का गुणगान करना सभ्य समाज के अनुकूल आचरण नहीं कहा जा सकता। आखिर कोई किसी हत्यारे का समर्थन कैसे कर सकता है? यह तो एक तरह से हिंसा का समर्थन करना हुआ। नाथूराम गोडसे को आज के संदर्भ में आतंकी कहे जाने पर लोगों के विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि गांधी जी की हत्या दुनिया को अवाक करने और देश को दहशत में डालने वाली थी।

अभूतपूर्व कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में मंगलवार को हुई चुनावी हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अभूतपूर्व कार्रवाई की है। बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत पहली बार आयोग ने चुनाव प्रचार का समय कम कर दिया। यह बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली घटना है, जब चुनाव प्रचार में 19 घंटे की कटौती भी की गई है। आयोग ने ऐसा पहली बार किया है। नियमानुसार चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम पांच बजे से बंद होना था। लेकिन अब यह गुरुवार रात 10 बजे ही खत्म हो गया। अब अगले आदेश तक राज्य के मुख्य सचिव गृह विभाग की देखरेख करेंगे। प्रचार के समय में कटौती, यह पहली बार है जब आयोग ने अनुच्छेद 324 को इस तरीके से लागू किया है। लेकिन यह अराजकता और हिंसा की पुनरावृत्ति के मामलों में अंतिम नहीं हो सकता जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संचालन को प्रभावित करता है। चुनाव आयोग ने राज्य में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़ पर आयोग को गहरा दुख है। उम्मीद है कि राज्य प्रशासन द्वारा ऐसा करने वालों का पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने प्रचार के समय में कटौती करते हुए चुनाव प्रचार और चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। साथ ही आयोग ने रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर सख्त पाबंदी लगा दी। आयोग ने सभी दलों को सख्त हिदायत दी है कि वे सोशल मीडिया पर भी किसी तरह के वीडियो डालने से परहेज करें। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की नौ संसदीय सीटों दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जादवपुर, डायमंड हार्बर, दक्षिण और उत्तर कोलकाता में 19 मई को मतदान होना है। परंतु, यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आयोग को इतने सख्त कदम क्यों उठाने पड़े? यही तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2011 तक हर चुनाव में केंद्रीय बलों की सौ फीसद बूथ पर तैनाती यहां तक कि राष्ट्रपति शासन लागू कर मतदान कराने की मांग करती थी। वह स्थिति बदल चुकी है।

जन-जन से जुड़ाव की नई राजनीति

डॉ. एके वर्मा

मोदी ने अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स से यह दिखाया कि वह जनता से और जनता उनसे जुड़ी है। यही वह जुड़ाव है जिसे अधिकतर विश्लेषक देख नहीं पा रहे हैं

लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। सबकी निगाहें मतदान के आखिरी चरण से ज्यादा नतीजे वाले दिन यानी 23 मई पर लगी हैं। मोदी सरकार को लेकर परस्पर विरोधाभासी आकलन हुए हैं, लेकिन इस दौरान चुनाव प्रचार की रणनीतियों की कम चर्चा हुई। पूरा ध्यान आरोप-प्रत्यारोप पर रहा। विपक्ष की कोई समन्वित रणनीति नहीं रही, कोई साझा-मंच या महागठबंधन नहीं बन पाया, न नेतृत्व पर कोई सहमति बनी और न ही जनता के समक्ष भावी वैकल्पिक नीतिगत ब्लूप्रिंट पेश किया जा सका। सब कुछ छितरा-बिखरा सा रहा। इसके विपरीत मोदी-अमित शाह की जोड़ी ने लक्ष्य-केंद्रित, समन्वित और आक्रामक प्रचार किया। प्रचार के दौरान दलों और प्रत्याशियों द्वारा प्रायः भाषा और विचारों की मर्यादा की लक्ष्मणरेखा का उल्लंघन होता है। इस बार भी वही हुआ और असहाय मतदाता तमाशा देखता रह गया।उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन की कुछ रणनीतिक साझेदारी दिखी जरूर, लेकिन वह सतही रही और जमीनी हकीकत न बन सकी। इसके कई कारण थे। दो सामाजिक जाति समूहों पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दलों ने दो दशकों से सामाजिक-आर्थिक संघर्ष को अपने राजनीतिक अस्तित्व का आधार बना लिया था। इसकी वजह से दलितों को एससी-एसटी एक्ट का प्रयोग यादवों के विरुद्ध करना पड़ा। यादवों के पास जमीन है और दलितों के पास उस पर श्रम करने की बाध्यता।

करतार सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश मामले (2015) में, ममता देवी और सुमेर सिंह यादव बनाम मध्य प्रदेश मामले (2018) में एक अन्य दलित ने यादवों के खिलाफ मुकदमा किया। दोनों मुकदमों में अदालत ने आरोपी पक्ष को कोई राहत न दी। इसी प्रकार मुस्लिमों द्वारा भी दलितों के उत्पीड़न के कारण उन पर भी उस कानून का प्रयोग हुआ। कुल मिलाकर जमीन पर दलितों और यादवों या दलितों और मुस्लिमों के साथ आने में और भी कठिनाई है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने पूरे प्रचार में कुछ ऐसे रणनीतिक प्रयोग किए जिसके राजनीतिक परिणामों का अहसास विपक्ष को सहसा हो ही नहीं पाया। इनमें पहला प्रयोग 'मन-की-बात' का है जिसमें मोदी ने पूरे पांच वर्ष में 50 से अधिक एपिसोड में लगभग प्रति माह जनता से एक बार जरूर बात की।

यह काम भारत में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सामान्यतः प्रधानमंत्री की व्यस्तता की दुहाई दी जाती है, लेकिन यह विचार कितना क्रांतिकारी है कि प्रधानमंत्री भारत की जनता से प्रतिमाह बातचीत करें, जिसका विषय कभी भी राजनीतिक न रहा हो। उस बातचीत में प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे लोगों के नाम उद्घाटित करते रहे जो गुमनाम रहकर अच्छे काम करते हैं। प्रधानमंत्री का यह संबोधन टीवी चैनलों और आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से सजीव प्रसारित होता था। यह स्मार्ट-पॉलिटिक्स थी जिसमें मोदी पूरे पांच वर्ष भारत की जनता से जुड़े रहे। यही वह जुड़ाव है जो देश की जनता अपने प्रतिनिधियों से चाहती है, लेकिन वे यह जुड़ाव दे नहीं पाते। सामान्यतः नेता चुनाव घोषित होने के बाद अपने टिकट के लिए आश्वस्त नहीं रहते और टिकट मिलने के बाद उनके पास प्रचार के लिए बहुत कम समय बचता है। उसमें भी चुनाव आयोग की बंदिशें और आचार-संहिता का भय उनको सताता है।

अवधेश राजपूत

लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक सीमित समय में सबके पास पहुंच पाना संभव नहीं होता। प्रत्याशी कभी यह नहीं सोचते कि क्यों न पूरे पांच वर्ष को अपने चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग किया जाए, जिसमें न चुनाव आयोग की कोई बंदिशें हो, न खर्च की कोई सीमा? मोदी ने इसी को अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स का आधार बनाया। उन्होंने पांच वर्ष कठिन परिश्रम कर न केवल जनता का दिल जीता, वरन 'मन की बात' द्वारा स्वयं को जनता से जोड़े रहे। इसीलिए आज जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदाता को लग रहा है कि मोदी उससे और वह मोदी से जुड़ा हुआ है। बस यही वह जुड़ाव है जिसे अधिकतर विश्लेषक पकड़ नहीं पा रहे हैं। 'स्मार्ट-पॉलिटिक्स' से मोदी ने 'सबका साथ-सबका विकास' नारे को सार्थकता दी। मुस्लिमों का एक तबका इसी वजह से मोदी की ओर आकर्षित हुआ। आज मोदी को सांप्रदायिक कहने वाले बैकफुट पर हैं, क्योंकि जिन मुस्लिमों को मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है वे भला मोदी से नाराज क्यों हों? मोदी ने 'मन की बात' में कभी सांप्रदायिकता का पुट नहीं आने दिया, विकास का लाभ देने में जाति और धर्म देखा नहीं तो फिर मोदी से नाराजगी की क्या वजह हो सकती है।

किसी को भी मोदी के खिलाफ कुछ भी कहने की आजादी है। मोदी के अनुसार बीते पांच वर्षों में उनकी पाचनशक्ति बढ़ी है। यह बात उन्होंने खुद को दी जा रही गालियों के संदर्भ में कही। कई मीडिया माध्यम मोदी-विरोधी अभिव्यक्तियों से भरे हैं और कुछ ने तो जैसे 'मोदी-विरोध की सुपारी' सी ले रखी है। अपने विकासोन्मुखी शासन, समावेशी राजनीति के कारण मोदी ने जातीय समीकरण तोड़कर 'सामाजिक-वर्ग' के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। आज उनको शहरी और ग्रामीण महिलाओं, नौजवानों, गरीबों और उपेक्षितों में एक नया मतदाता समूह मिला है जो उनके प्रति आकर्षित है और जिसे उनके नेतृत्व में आशा की किरण दिखाई देती है। जहां अनेक विश्लेषक अभी भी पुराने चश्मे से भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं वहीं मोदी ने सामाजिक समीकरण तैयार कर राजनीति का एक नया विमर्श गढ़ा है, एक नया व्याकरण लिखा है। ये दोनों काफी समय तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। यह स्मार्ट पॉलिटिक्स का दूसरा बिंदु है जो मोदी को अपनी पार्टी और विरोधी पार्टियों के अनेक नेताओं से बहुत आगे ले गया।

मोदी की स्मार्ट पॉलिटिक्स का तीसरा अहम बिंदु संगठनात्मक मजबूती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक सशक्त और प्रभावशाली प्रधानमंत्री धीरे-धीरे पार्टी संगठन पर भी हावी हो जाता है, लेकिन न वह ठीक से सरकार चला पाता है, न पार्टी। धीरे-धीरे ये दोनों घटक एक व्यक्ति के हाथ में आने से अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनपने लगती है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल इसका प्रमाण है। मोदी ने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी शाह को सौंप रखी है और उसमें उनका कोई खास दखल नहीं है। दोनों में एक-दूसरे के प्रति भरोसा भी है। शाह ने भी बड़ी निष्ठा से भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों को समय पर सक्रिय करने और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। इस प्रकार मोदी की स्मार्ट-पॉलिटिक्स में भाजपा के सरकारी पक्ष और संगठनात्मक पक्ष में कोई अंतर्विरोध नहीं हो पाया है। यह स्थिति मोदी को न केवल अनावश्यक संगठनात्मक विवादों से मुक्त रखती है, वरन उनको सरकार के भावी कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने का समय देती है। इस प्रकार जनता से जुड़ाव, विकासोन्मुखी समावेशी राजनीति और शासक दल के संगठनात्मक और कार्यपालिका के घटकों में समन्वय और संतुलन बनाकर मोदी ने अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स का बेहतर प्रदर्शन किया है। देखना है कि 23 मई को उनकी इस स्मार्ट-पॉलिटिक्स को जनता का कैसा आशीर्वाद मिलता है।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अर्थव्यवस्था की बिगड़ती तस्वीर

राजीव गौड़ा

सलमान सोज

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की हताशा से यह दिखने लगा है कि मोदी सरकार की विदाई तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों और वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्लॉग में उनकी सरकार के प्रदर्शन के ब्योरे से पांच साल में दो करोड़ रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने की बात बिल्कुल गायब है। सच मानें तो इसका कारण यह है कि उन्होंने इस बारे में बात करने के लिए भरोसा ही खो दिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री की दो सबसे बड़ी आर्थिक नीतियों नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का भी कोई जिक्र नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास दर, आयात-निर्यात, राजकोषीय घाटा, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योगीकरण, बचत, निवेश और बैंकिंग जैसे इन सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। सबसे खतरनाक बात यह है कि या तो मोदी सरकार ने आंकड़ों को बाहर नहीं आने दिया या फिर अपनी सुविधा से आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर पेश किया। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारी छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

मोदी-जेटली की जुगलबंदी वाली आर्थिक नीतियों की वजह से अभी हाल में तिमाही वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में भारी गिरावट आई। अनुमान है कि 1.6 लाख करोड़ रुपये के कर राजस्व की कमी, वास्तविक राजकोषीय घाटे को बढाकर 4.5 प्रतिशत कर देगी। इससे अर्थव्यवस्था की विकास दर और धीमी होने के साथ ही असमानता बढ़ेगी। मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर उन्हें ठगा। अगर हम आंकड़ों की मानें तो आने वाले चार वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर 10 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए जोकि निकट भविष्य में असंभव सी दिखती है। भाजपा सरकार की उदासीनता की वजह से ग्रामीण इलाकों में पूरे पांच साल तक दिहाड़ी में वृद्धि नहीं हुई। मोदी सरकार में कृषि विकास दर संप्रग सरकार की तुलना में आधी हो गई है और उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे किसानों पर पड़ा है। अगर नोटबंदी की बात करें तो उसकी वजह से लाखों नौकरियां तबाह हो गईं। कालाधन वापस लाने के नाम पर लोगों को ठगा गया। इसी तरह जीएसटी को देखें तो उसे भी बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में लागू किया गया। इस वजह से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक तरफ नोटबंदी और दूसरी तरफ जीएसटी के रूप में गब्बर सिंह टैक्स, दोनों की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। महिलाओं और युवाओं का रोजगार छीन लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी विरासत नौकरियों को बर्बाद करने की रहेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2018 में ही 1.1 करोड़ रोजगार खत्म हुए। एनएसएसओ के लीक आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी अपनी 45 साल की चरम सीमा पर है और सरकार इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। इस सरकार के द्वारा दिए हुए सभी आंकड़े संदेह के घेरे में रहे हैं। कई श्रेणियों में जारी किए गए आंकड़ों पर विशेषज्ञों ने कमियां निकाली हैं। जीडीपी के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं जिन पर सवालिया निशान लगे हैं।

अगर बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालें तो पता लगता है कि मोदी राज में बैंकिंग धोखाधड़ी चार गुना बढ़ गई है। समस्याओं से जूझ रहे एनबीएफसी क्षेत्र को भी सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। बैंकिंग क्षेत्र जहां मुश्किलों से जूझ रहा है वहीं दूसरी ओर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों को देश छोड़कर जाने दिया गया जो बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगा गए। ऐसे लोगों और विलफुल डिफॉल्टरों यानी जानबूझकर बैंकों का कर्ज न चुकाने वालों की वजह से बैंकों के एनपीए में भारी बढ़ोत्तरी हुई जिसने अर्थव्यवस्था को और खस्ताहाल कर दिया। इसके साथ ही निर्यात दर और विदेशी निवेश दोनों में भारी गिरावट आई है। अगर हम अन्य संकेतकों पर गौर करें तो बचत की जो दर 2014 में 20 प्रतिशत के आसपास थी वह अब घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात निवेश में कमी आना है। मोदी सरकार में औसत निवेश की दर संप्रग के पहले और दूसरे कार्यकाल के औसत की तुलना में आठ प्रतिशत कम हो गई है। मोदी सरकार में प्रतिवर्ष केवल औसतन 3430 फैक्ट्रियां लगीं जो संप्रग के दौर में सालाना 10,000 फैक्ट्रियों के औसत से बहुत कम है। कम निवेश और नए उद्योगों के न लगने से नई नौकरियों का सृजन नहीं हो सका और गलत आर्थिक नीतियों की वजह से करोड़ों नौकरियां खत्म हो गईं।

मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियां समावेशी विकास के सिद्धांत पर केंद्रित थीं। इसके उलट मोदी-जेटली का मॉडल घाटे का राष्ट्रीयकरण और मुनाफे का निजीकरण है। मोदी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है और इसमें सुधार के लिए आने वाली सरकार को तुरंत उचित कदम उठाने होंगे। कांग्रेस पार्टी के पास अनुभवी नेताओं और पेशेवर लोगों की काबिल टीम है। उसके पास अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एक कार्ययोजना है। हम इसकी झलक कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में देख ही चुके हैं। सबसे पहले जो 24 लाख सरकारी पद रिक्त हुए हैं, उन पर साल भर के भीतर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें तीन साल तक किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी और उनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कर्ज माफी की जाएगी जो हमारे किसानों को तुरंत राहत देगी और फिर एक विशेष योजना के तहत उनकी हालत में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों को कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक ले जाएगी।

न्याय योजना के तहत देश के सबसे निर्धन पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये मिलेंगे। इसमें भी जहां तक संभव हो सकेगा, ये पैसा परिवार की महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। इससे न सिर्फ गरीबी खत्म होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। उदाहरण के लिए जब न्याय योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगी तब सालाना 3.6 लाख करोड़ रुपये नागरिकों के हाथ में जाएगा जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के लिए खर्च कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। इसका सीधा फायदा बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिलेगा। वहां उत्पादन फिर से शुरू होगा और सिर्फ खोई हुई नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, बल्कि नए रोजगार भी सृजित होंगे।

(राजीव गौड़ा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सलमान सोज पार्टी के प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पश्चाताप

विश्व का सर्वाधिक ठोस ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य गलती करता है, फिर उसे गलती की सजा मिलती है। सजा मिलने से उसे अनुभव मिलता है कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा, तो इसका दुष्परिणाम भविष्य में ऐसा होगा। हर गलती पर सजा का प्रकृति-प्रदत्त प्रावधान है, जो मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि का सर्वाधिक स्वाभाविक व प्राकृतिक मार्ग है। मनुष्य को प्रभु ने वह ज्ञान दिया है जिससे वह नीर-क्षीर-विवेक कर सकता है। उसके मानस-पटल पर एक दिव्य शक्ति का अस्तित्व है, वह है-अंतरात्मा। यह वह दैवी शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य को सत्य-असत्य, उत्तम-अधम, सन्मार्ग-कुमार्ग व अच्छे-बुरे का ज्ञान होता है। मनुष्य की अंतरात्मा अच्छे कार्यों से संतुष्ट रहती है, किंतु अनैतिक कार्य पर अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। वह दुष्कृत्य के लिए पश्चाताप करता है। झूठ, फरेब, मिथ्या आचरण, चोरी व व्यभिचार आदि अनैतिक आचरण कभी स्थायी नहीं होते? मैंने कितना गलत किया? ऐसे विचार आत्मा में कचोटते व चुभन उत्पन्न करते हैं। पश्चाताप एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को असत्य, अनैतिकता और अशुचिता से बचाती है। यह अग्नि कुमार्ग पर जाने से रोकती है। पश्चाताप केवल निषेधात्मक तत्व ही नहीं, बल्कि पाप के प्रतिकार स्वरूप कुछ करने की प्रेरणा देने वाला तत्व भी है। पश्चाताप करना बुरी बात नहीं है। निंदनीय तो यह है कि मनुष्य बार-बार वही गलती न दोहराए। यदि मनुष्य सच्चा पश्चाताप करता है तो इसका आशय यह है कि उसकी आत्मा जागृत है।

उसमें सत्य के प्रति निष्ठा और विश्वास है। ऐसे मनुष्य में ऊंचा उठने और आध्यात्मिकता को उजागर करने के लिए पर्याप्त सद्गुण विद्यमान हैं। केवल माया-मोह, अशिक्षा, स्वार्थ आदि का अंधकार छाया हुआ है। दुर्गुण बाहर हैं, अंतस में वास्तविक सात्विकता की परम शक्ति उपस्थित है। गलती होने पर पश्चाताप करने का मतलब आगे उसे न दोहराने का संकेत समझना चाहिए। हृदय से पश्चाताप करने वाला मनुष्य आत्मप्रकाश से दैदीप्यमान होता है, क्योंकि उसमें भविष्य को सुधारने की प्रबल इच्छा शक्ति है। पाप का प्रतिकार तब होगा, जब आप पुण्य का आश्रय ग्रहण करेंगे। सच्चा पश्चाताप करने वाला मनुष्य विद्वान व ज्ञानी हो जाता है।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

समाज का भला करने वाली सजा

जाहिद खान

दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्जाने के रूप में बड़ी तादाद में पौधे लगाने का आदेश दिया है। इससे पर्यावरण की सेहत सुधरेगी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नई कवायद शुरू की है। इसके तहत वादी-प्रतिवादियों पर हर्जाने के रूप में वह शहर को हरा-भरा करने का निर्देश दे रहा है। जस्टिस नजमी वजीरी ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए, दोषियों को जुर्माने के तौर पर आर्थिक दंड देने के बजाय एक लाख 40 हजार पौधे लगाने का आदेश दिया है। अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई के बाद, उन्होंने यह फैसला सुनाया है। इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी दक्षिण दिल्ली के उप वन-संरक्षक की होगी।

अदालत ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह दोषी कंपनी को बताए कि ये 1.40 लाख पौधे कहां लगेंगे। साथ ही यह भी बताए कि इन पौधों के लिए पानी कहां से आएगा। खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ही इस्तेमाल किया जाए। कंपनी से ऐसे छोटे-छोटे बांध बनवाए जाएं, ताकि बारिश के मौसम का इन पौधों को फायदा मिले। वन विभाग एक कार्ययोजना बनाकर, इन पौधों की रक्षा करे। हर पेड़ पर नंबर डाला जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि पौधे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचें और जीवित रहें। कंपनी की जवाबदेही सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बारिश का मौसम खत्म होने तक उसे इन सभी पौधों की देखभाल करनी होगी। यानी अपराधी सिर्फ पौधे लगाकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री न समझें, बल्कि बड़े होने तक उनकी हिफाजत भी करें, तभी फैसले का मकसद पूरा होगा।

दरअसल अमेरिका की एक कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चेन्नई की एक कंपनी पर अदालत की अवमानना का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी एक दवा को भारत में बेचे जाने को लेकर मई 2016 में अदालत के हस्तक्षेप के बाद दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। बहरहाल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी कंपनी पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह पैसा सार्वजनिक हित पर खर्च किया जाए। अदालत ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले चार साल के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।

अदालत के ऐसे फैसले सुधारवादी कहे जाते हैं। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसी किसी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अदालतें स्व-विवेक से समय-समय पर ऐसी सजाएं सुनाती रहती हैं। इसके पीछे दलील यह होती है कि सजा का मकसद सिर्फ अपराधी को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं, बल्कि उसमें सुधार की कोशिशें करना और उसे सुधरने का एक मौका प्रदान करना है ताकि उसमें इंसानियत का भाव जगे। अपने परिवार और समाज के प्रति वह अपनी जवाबदेही समझे। जस्टिस नजमी वजीरी ने अपने सुधारवादी फैसलों से जहां अपराधियों को सुधरने का एक मौका प्रदान किया है, वहीं उन्हें ऐसी सजा मुकर्रर की है, जिससे आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली का पर्यावरण भी सुधरेगा। इस अनूठी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

झूठ बोलने पर नेताओं को भी हो सजा

'झूठ की ताकत का प्रदर्शन' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में मक्खन लाल ने हिटलर से राहुल गांधी तक बड़ा झूठ बोलकर जनता को विश्वास दिलाने वाले राजनीतिक परिदृश्य का जो चित्रण प्रस्तुत किया है उसे पढ़ने के बाद राजनेताओं के बयान व आरोप पर प्रथमद्रष्टया विश्वास करना मुश्किल है। लेख में यह पढ़ने की इच्छा सतत बनी रही कि प्रजातंत्र में इन नेताओं को झूठ बोलकर जनता को धोखा देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? मक्खन लाल इस विषय पर चुप्पी साध गए। यदि देश के सामान्य नागरिक को झूठ बोलने व दूसरों को धोखा देने के आरोप में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा सकती है तो फिर समय आ गया है कि झूठा वादा करने, झूठ बोलने व जनता के साथ धोखाधड़ी करने आरोप में इन नेताओं को भी न्यायालय द्वारा सजा दी जाए। यह समय माफीनामे के हलफनामे का नहीं है, न्यायालय द्वारा इस तरह के फैसले सुनाए जाने का है, ताकि ऐसी नजीर से कानून के राज होने का आभास आम आदमी को भी हो सकेगा तथा झूठ बोलकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश भी लग सकेगा। राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने की अवमानना पर माफी मांगने से ही कानूनी प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है। इसके लिए कुछ और प्रावधान होने चाहिए।

डॉ. हरिप्रसाद राय, आजमगढ़

परमाणु हथियारों की होड़

जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तब उसने ना तो हमारे हाथों में हथियार दिए और न ही एक दूसरे के प्रति नफरत। लेकिन कतिपय इंसानों ने अपनी सुरक्षा और कुछेक ने अपने सामने वाले को नीचा दिखाने और उसके दिलों में डर पैदा कर अपनी बातें मनवाने के लिए हथियारों का सहारा लिया। लेकिन उस समय का ये सहारा आज दुनिया की तबाही का कारण बना हुआ है। जैसे-जैसे लोगों में असुरक्षा की आशंका घर करती गई वैसे-वैसे हथियारों की होड़ दिन-व-दिन बढ़ती गई। यह होड़ दो देश तो छोड़िए विश्व युद्धों के लड़े जाने का कारण भी रही है। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो दुनिया के देशों के पास इतने विनाशकारी हथियार नहीं थे। लेकिन इसकी उपज ने द्वितीय विश्व युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया। अब यूरोप ही नहीं, बल्कि अरब देशों ने भी शांतिपूर्ण इस्तेमाल का हवाला देकर परमाणु तकनीक विकसित करनी शुरू कर दी है। लेकिन शांतिपूर्ण कार्यक्रम की आड़ में व्यापक पैमाने पर अवैध परमाणु हथियारों का विकास किया जाने लगा।।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

चोरी होता साहित्य

सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाने के लिए लोगों ने कॉपी पेस्ट के जरिए साहित्य की चोरी करना शुरू कर दिया है। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। जब लेखक अपनी लिखित रचना को किसी दूसरे के नाम से वायरल होते और वाहवाही पाते देखते हैं तो लेखकों का मनोबल टूटता है। अगर वह उस व्यक्ति विशेष से शिकायत करते हैं तो वह लेखक को ब्लॉक कर देते हैं या बहस करते हैं। अगर समय रह